न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/29/2016 दायर दिनांक 28.06.2016

उनवान

1. साबुद्दीन पिता कालु जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

——प्रार्थी

बनाम

1. लादुलाल उर्फ ऋषभकुमार पिता कन्हैयालाल महाजन आयु वयस्क निवासी भोपालसागर तहसील भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. मु0 सुरजकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

——अप्रार्थीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :–

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 13.02.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी नम्बर 1563 से लगायत 1577 तक स्थित है जिसका साबिक पैमाईश में आराजी नम्बर 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, व 904 था।

यह कि उक्त आराजीयात वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है मगर उक्त आराजीयात पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा चुंकि उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के पिता का कब्जा शुरू से होने के कारण विपक्षी संख्या 1 के पिता ने कब्जा लेने का दावा मुझ प्रार्थी के पिता पर दिनांक 01.02.1983 को किया जो मु0न0 132/86 रेवेन्यु वाद पर दर्ज होकर दिनांक 20.05.1988 को खारिज हो गया व इसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 ने भी मुझ प्रार्थी पर धारा 188 आर0टी0एक्ट0 का दावा न्यायालय आप में वर्ष 2012 में किया जो मु0न0 247/12 रेवेन्यु वाद पर दर्ज होकर दिनांक 22.06.2016 को खारिज हो गया इस प्रकार आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा व विपक्षी अब मुझ प्रार्थी से कब्जा पाने का अधिकारी भी नहीं है चूंकि कब्जा लेने की म्याद भी समाप्त हो गयी है इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर सारे अधिकार समाप्त हो गये व कानूनन मुझ प्रार्थी का विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी मुकाबले कब्जा मुखालफाना होने से मैं प्रार्थी उक्त आराजीयात का खातेदारी काश्तकार घोषित होने योग्य हु जिससे मैं प्रार्थी यह घोषणा कराने का अधिकारी हू कि आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का मैं प्रार्थी खातेदारी काश्तकार होकर काबिज हूँ।

यह कि विपक्षी संख्या 1 ने मु0न0 247/12 रेवेन्यु वाद की कार्यवाही के दरम्यान आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 06.06.2016 को विक्रय कर दिया जबकि दिनांक 06.06.2016 को उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं था व प्रकरण विचाराधीन रहते आराजीयात का विक्रय कानूनन किया भी नहीं जा सकता है जिससे विक्रयपत्र दिनांक 06.06.2016 जो विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

को प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का किया मुझ प्रार्थी के मुकाबले एवं इनिशीयो वॉइड है इस बात की घोषणा भी प्रार्थी कराने का अधिकारी है।

यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 गैर कानूनी तरीके अपना कर प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर दर्ज करा जबरदस्ती कानून हाथ में ले कब्जा करना चाहते है व ऐसा करने का विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा पक्षकारान के बीच कई प्रकार के नये विवाद पैदा हो जावेगे व मुकदमेबाजी बढ जावेगी।

यह कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई नुकसान नहीं है व जारी न किये जाने पर मुझ प्रार्थी को अपार क्षति है।

अन्त में प्रार्थना की कि–प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर से प्रार्थी को गैर कानूनी तरीके अपना कर बेदखल नहीं करे व प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे एवं न ही किसी से करावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 26.09.2017 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो निम्नानुसार है–

1. यह कि उक्त अनवान का एक वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है जो ठोस आधारों पर होने से अवश्य स्वीकार होगा मगर वादपत्र के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है।
2. यह कि ग्राम दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी नम्बर 1563 से लगायत 1577 तक स्थित है जिसका साबिक पैमाईश में आराजी नम्बर 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903 व 904 था।
3. यह कि उक्त आराजीयात वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है मगर उक्त आराजीयात पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा चुकि उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के पिता का कब्जा शुरू से होने के कारण विपक्षी संख्या 1 के पिता ने कब्जा लेने का दावा मुझ प्रार्थी के पिता पर दिनांक 01.02.1983 को किया जो मु0 नं0 132/86 रेवेन्यु वाद पर दर्ज होकर दिनांक 20.05.1988 को खारिज हो गया व इसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 ने भी मुझ प्रार्थी पर धारा 188 आर0टी0एक्ट का दावा न्यायालय आप में वर्ष 2012 मं किया जो मु0 नं0 247/12 रेवेन्यु वाद पर दर्ज होकर दिनांक 22.06.2016 को खारिज हो गया इस प्रकार आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा व विपक्षी अब मुझ प्रार्थी से कब्जा पाने का अधिकारी भी नहीं है चुकि कब्जा लेने की म्याद भी समाप्त हो गयी है इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर सारे अधिकार समाप्त हो गये व कानूनन मुझ प्रार्थी का विपक्षी संख्या 1 के काश्तकार घोषित होने योग्य हूँ जिससे मैं प्रार्थी यह घोषणा कराने का अधिकारी हूँ कि आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का मैं प्रार्थी खातेदारी काश्तकार होकर काबिज हूँ।
4. यह कि विपक्षी संख्या 1 ने मु0 नं0 247/12 रेवेन्यु वाद की कार्यवाही के दरम्यान आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 06.06.2016 को विक्रय कर दिया जबकि दिनांक 06.06.2016 को उक्त वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार भी नहीं था व प्रकरण विचाराधीन रहते आराजीयात का विक्रय कानूनन किया भी नहीं जा सकता हैं जिससे विक्रय दिनांक 06.06.2016 जो विपक्षी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:54:47 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 ने विपक्षी संख्या 2 को प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का किया मुझ प्रार्थी के मुकाबले एवं इनिशियो वॉइड है इस बात की घोषणा भी प्रार्थी कराने का अधिकारी है।

5. यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 गैर कानूनी तरीके अपना कर प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर दर्ज करा जबरदस्ती कानून हाथ में ले कब्जा करना चाहते है व ऐसा करने का विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा पक्षकारान के बीच कई प्रकार के नये विवाद पैदा हो जावेगे व मुकदमेबाजी बढ जावेगी।
6. यह कि वादी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई नुकसान नहीं है व जारी न किये जाने पर मुझ प्रार्थी को अपार क्षति है।
7. यह कि उक्त प्रकरण से विपक्षीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदन स्वीकार फरमा विपक्षीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि आवेदन की कॉलम संख्या 2 में वर्णित ग्राम दांता तहसील कपासन में स्थित आराजी नम्बर 1563 से लगायत 1577 तक पर से मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली को निर्णय पर रखा गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की प्रस्तुत की गई बहस प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का विवेचन आवश्यक है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है मगर उक्त आराजीयात पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा। चुंकि उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के पिता का कब्जा शुरू से होने के कारण विपक्षी संख्या 1 के पिता ने कब्जा लेने का दावा मुझ प्रार्थी के पिता पर किया जो दिनांक 20.05.1988 को खारिज हो गया। व इसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 ने भी मुझ प्रार्थी पर धारा 188 आर0टी0एक्ट0 का दावा न्यायालय आप में वर्ष 2012 में किया। जो दिनांक 22.06.2016 को खारिज हो गया। हमने प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। जो कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में अभिलिखित खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा सन 1983 से होना बताया है परन्तु वर्तमान में उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है अतः प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी प्रतीत नहीं होता है।

<u>अपूरणीय क्षति</u> :– जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि विवादित आराजीयात पर मौके पर प्रार्थीया का कब्जा है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादीत आराजीयात दिनांक 06.06.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा विवादीत आराजीयात महज कब्जा होना बताया है कब्जा के अतिरिक्त उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जा प्राप्त करने का कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, विवादीत आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजीयात है अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर प्रार्थी को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष प्रतीत नहीं होती है, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होगी जो कि विवादित आराजीयात के अभिलिखित खातेदारान है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित कराये जाने में असफल रहे है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 55/2016 अनवानी साबुद्दीन बनाम लादुलाल के साथ हम किता रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय आज दिनांक 13.02.2024 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested